न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—312/2024/225 आर.टी.एक्ट (2024/312)

1. गोगा देवी पत्नि काना जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1. छीतर पुत्र हरजी जाति जाट निवासी ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2024 राजस्व वाद संख्या 08/2024.

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

उपस्थितः—

1. श्री रूपक शर्मा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विजय पोषक अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 02

निर्णय

दिनांकः— 30.04.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 08/2024 में पारित आदेश दिनांक 04.12.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ग्राम तोलामाल पटवार हल्का बडगांव तहसील किशनगढ के खसरा नम्बर 64 व 63 की भूमि बाबत अपीलार्थीया की खातेदारी भूमि ग्राम तोलामाल तहसील किशगनढ के खसरा नम्बर 62 में से रास्ता चाहने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए प्रार्थना पत्र को दिनांक 4.12.2024 को निर्णित किया गया। अतः अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 08/2024 में पारित आदेश दिनांक 04.12.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अन्तिम आदेश में यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया कि खसरा नम्बर 33 गै०मु० रास्ता से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 64 के बीच खसरा नम्बर 28 व 29 चारागाह भूमि आती है जो चारागाह भूमि में से रास्ता इसी आधार पर दिया जा सकता है कि खातेदार द्वारा जितना रास्ता चाहिए उतनी खातेदारी भूमि को चारागाह भूमि में समर्पण करना आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चारागाह भूमि को भी खुर्द–बुर्द किया गया है एवं चारागाह भूमि बाबत् कोई आदेश में राशि भी अंकित नहीं कि गयी है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने मनमाने रूप से पुर्वाग्रह से ग्रसित होकर राजस्व हानी भी की है जिसके लिये अधीनस्थ न्यायालय स्वयं जिम्मेदार है एवं ना ही चारागाह भूमि बाबत् रास्ता दर्शित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 64 में एपरोच रोड़/रास्ता खसरा नम्बर 33 से किस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि में जाने के लिये रास्ता दर्शित किया गया है जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) में भी अंकित नहीं किया गया एवं ना ही प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा किया गया है। केवल मात्र संलग्न नजरी नक्शे में केवल अपीलार्थीया की भूमि खसरा नम्बर 62 से 64 में जाने का रास्ता दर्शित किया गया है। जबकी खसरा नम्बर 33 जो गै०मु० रास्ता व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 64 के बीच खसरा नम्बर 28, 29 चारागाह आता है एवं खसरा नम्बर 60 अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम इन्द्राज है जो अजमेर विकास प्राधिकरण को भी पक्षकार नहीं बनाया गया एवं ना ही चारागाह भूमि में रास्ता चाहने बाबत् कोई अनुतोष प्रार्थना पत्र में अंकित किये है। अपीलार्थीया की भूमि वर्तमान में युनियन बैंक ऑफ इंडिया शाख तिलोनिया में रहन दर्ज है फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पूर्ण संज्ञान होने के बावजूद भी बैंक को पक्षकार कायम नहीं किया गया है इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) असंयोजन व कुसंयोजन के आधार पर प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है इस बाबत् माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। "Suit can be dismissed for non & joinder & miss & joinder of necessary party" इस महत्वपूर्ण तथ्य को विलोपित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रार्थना पत्र एवं धारा 151 सी०पी०सी० का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी बहस दिनांक 06.11.2024 को सुनी गयी थी एवं आदेश दिनांक 03.12.2024 को नियत थी। जबकी अधीनस्थ न्यायालय पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मूल प्रार्थना पत्र पर बिना बहस सुने ही अन्तिम आदेश पारित कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) के में मुख्य मार्ग खसरा नम्बर 33 जो तोलामाल से तिलोनिया जाने वाली रोड़ है उससे बीच में आने वाली चारागाह भूमि खसरा नम्बर 28, 29 में किसी भी प्रकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब्दूल रहमान बनाम राजस्थान राज्य में प्रतिपादित सिद्धान्त दिया गया है कि चारागाह भूमि जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 28, 29 (चारागाह) भूमि को खुर्द–बुर्द करने की मंशा से आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई सरकारी राशि का भी अंकन नहीं किया

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

गया है जिससे राजकोष हानी के साथ–साथ चारागाह भूमि को भी खुद–बुर्द किया गया है। पटवारी/गिरदावर हल्का द्वारा बिना अपीलार्थीया को नोटिस दिये, बिना सूचित किये, बिना मौके पर आये उपरोक्त रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से मिली भगत करके तैयार की गयी है जो रिपोर्ट को देखने मात्र से स्पष्ट है अर्थात उपरोक्त रिपोर्ट में कही भी अंकित नहीं है कि किस दिनांक को मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार की गयी है एवं ना ही तहसीलदार, के हस्ताक्षर है, तो किस प्रकार से सिद्ध है कि उपरोक्त रिपोर्ट मौके पर जाकर सभी प्रभावित पक्षकारों की उपस्थिती में तैयार की गयी है एवं किसी प्रकार का अपीलार्थीया को मौके पर उपस्थित हेतु नोटिस नहीं दिये गये है, जबकी धारा 251 (क) के प्रचलित प्रावधानों अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की नियमावली के नियम 18 से 21 में स्पष्ट प्रावधान है कि मौका रिपोर्ट तहसीलदार अथवा गिरदावर पद का व्यक्ति मौके की रिपोर्ट तैयार करेगा एवं प्रभावित पक्षकारों को मौके पर उपस्थित हेतु नोटिस प्रेषित करेगा, परन्तु उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया एवं तैयार की गयी है रिपोर्ट में कही भी उल्लेखित नहीं है कि "मुख्य रास्ता अथवा सडक/रिकोर्डेड रास्ते से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि में पहुंच के लिये किस प्रकार का रास्ता चाहिए वह नजरी नक्शे में दर्शाना होता है" जबकी संलग्न मौका रिपोर्ट में नजरी नक्शे में कही भी अंकित नहीं किया गया कि मुख्य सडक से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खेत तक किस प्रकार जायेगा अथवा रास्ता दिया जाना सम्भव है चुंकि मुख्य सडक/रिकोर्डेड रास्ता खसरा नम्बर 33 अवस्थित है जो ग्राम पाटन से तिलोनिया जाती है जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि से पहले खसरा अम्बर 60 जो अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है एवं खसरा नम्बर 28 चारागाह भूमि के रूप में दर्ज है एवं खसरा नम्बर 27 अन्य खातेदारों की भूमि है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा बिना इनको पक्षकार बनाये हुये रास्ता चाह रहा है जबकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण लार्जर बेंच का निर्णय अल्ट्राटेक सिमेन्ट बनाम पंजाब राज्य सन् 2000 पारित किया गया है कि धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमियों का उपयोग निजी व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जा सकता है जबकी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा न तो सरकार से चारागाह भूमि में से रास्ता लेने हेतु अनुतोष चाहा गया है एवं ना ही अजमेर विकास प्राधिकरण को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है एवं न ही अन्य खातेदारों को पक्षकार कायम किया गया है इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र ही औचित्यहीन है गिरदावर/पटवारी हल्का द्वारा मिली भगत करके मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है जिसका किसी भी प्रकार से कोई औचित्य नहीं है। पटवारी/गिरदावर हल्का द्वारा केवल मात्र सरसरी तौर पर रिपोर्ट तैयार की गयी है चूंकि जो रिपोर्ट तैयार की गयी है उसमें केवल मात्र यह दर्शित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रास्ता खसरा नम्बर 62 की भूमि में से चाहा गया है जबकी पटवारी/गिरदावर को रिपोर्ट में अंकन करना चाहिए था कि मौके पर रिकार्डेड रास्ता यह है एवं यहां से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी जोत में जाने हेतु रास्ता दिया जाना उचित है रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिया जाना कतई उचित नहीं है चूंकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि रिकार्डेड रास्ते से अपनी जोत में पहुंचने के लिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रास्ता दर्शित करना चाहिए था एवं रिपोर्ट में भी सभी तथ्य आने चाहिए थे परन्तु पटवारी/गिरदावर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से मिली भगत करके रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है जो रिपोर्ट पुनः मंगवायी जानी

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

आवश्यक है कि रिकार्डेड रास्ते से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की जोत/खातेदारी भूमि तक जाने हेतु कितना रास्ता चाहिए। खसरा नम्बर 33 जो रास्ता/सडक के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो इससे लगता हुआ खसरा नम्बर 29 चारागाह दर्ज है एवं इस खसरा नम्बर से लगता हुआ खसरा नम्बर 28 है जो चारागाह दर्ज है एवं खसरा नम्बर 60 अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम इन्द्राज है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि एवं रास्ते के बीच में खसरा नम्बर 28, 29, 60 आते है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा किसी भी प्रकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है केवल मात्र अपीलार्थीया को पक्षकार संयोजित करके प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसके आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रास्ते का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है यह विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि धारा 251 (ए) के तहत जिन–जिन खसरों से रास्ता चाहा गया है उनका अनुतोष लेना आवश्यक है एवं उनको पक्षकार कायम किया जाना भी आवश्यक है जबकी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र में चारागाह भूमि खसरा नम्बर 28, 29 में कोई अनुतोष चाहा गया है एवं ना ही खसरा नम्बर 60 जो अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम है उनको भी पक्षकार कायम नहीं किया गया है। इसलिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र सद्भाविक रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं ना ही प्रभाविक पक्षकारों को पक्षकार कायम किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के चाहे गये अनुतोष के आधार पर ही प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है जबकी विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि धारा 251 (क) के प्रार्थना पत्र पर किसी रास्ते बाबत् रिपोर्ट प्रस्तुत करवाने के पूर्व अपीलार्थीया के जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं मौके पर अन्य वैकल्पिक रास्ते एवं सुविधाजनक रास्ता सबसे सरलतम, निकटतम, लघुतम बाबत् कथन किया गया हो तो न्यायालय द्वारा रिपोर्ट आस–पास के खसरा नम्बरान में सुविधाजनक एवं सबसे सरलतम, निकटतम, लघुतम रास्ते बाबत् रिपोर्ट मंगवाया जाना आवश्यक है जबकी उक्त प्रकरण में केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित नजरी नक्शे के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है जिसको किसी भी आधार से विधिक नहीं माना जा सकता है जो रास्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 चाह रहे है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दर्शित करना होगा की उक्त रास्ते तक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 किस प्रकार से आयेगा। इस प्रकार उपरोक्त मौका रिपोर्ट निरस्त किया जाकर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवायी जाना आवश्यक है। इस परिपेक्ष्य में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा आर0बी0जे 2021 पेज नम्बर 299 में अभिनिर्धारित किया गया है इस प्रकार प्रार्थी व पटवारी/गिरदावर हल्का द्वारा जो रिपोर्ट मंगवाई है वह निराधार है, इस प्रकार उक्त रिपोर्ट के आधार पर रास्ता दिया जाना कतई उचित नहीं होगा। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा आर0आर0टी0 2021 पार्ट 2 पेज नम्बर 1286 एवं डि0एन0जे0 2019 पेज नम्बर 262 में अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां वैकल्पिक रास्ता मौजूद है एवं सबसे सरलतम, निकटतम, लघुत्तम, सुगमतम है वहां से ही रास्ता दिया जा सकता है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 08/2024 में पारित आदेश दिनांक 04.12.2024 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा खसरा संख्या 62 के उत्तर–पूर्वी कोने से होकर खसरा नम्बर 28 व 29 चरागाह भूमि से आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग किया जाता रहा है। विगत कुछ समय से अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थी को खसरा नम्बर 62 से आने जाने हेतु अवरूद्ध किया जा रहा था परन्तु खसरा नम्बर 28 एवं 29 से खातेदार द्वारा किसी प्रकार का अवरोध एवं व्यवधान कारित नहीं किया गया। इस बाबत अप्रार्थी संख्या 2 जो कि खसरा नम्बर 28 व 29 का खातेदार है, के द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट एवं जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के उक्त भूमि से आने जाने बाबत स्पष्ट अंकन करते हुए परस्पर सहमति व्यक्त की गई है। धारा 251 (क) के आज्ञापक प्रावधानों के अर्न्तगत केवल मात्र व्यवधान एवं बाधा की हद तक ही रास्ते की मांग की जा सकती है, अपने सुविधाजनक आनन्द के लिये उक्त प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) में स्पष्ट अंकन करते हुए बाधित मार्ग का नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है एवं खसरा नम्बर 60 अजमेर विकास प्राधिकरण के खसरे से आनें जाने हेतु कोई उपयोग प्रार्थी द्वारा नहीं किया जाता रहा है तो उक्त खातेदार को पक्षकार संयोजित कर अनुतोष चाहने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। बैंक के विरूद्ध प्रार्थी/प्रत्यर्थी द्वारा किसी तरह का अनुतोष नहीं चाहा गया है तथा इस प्रकार बैंक आवश्यक पक्षकार नहीं होने तथा बैंक के असंयोजन या कुसंयोजन से प्रकरण के गुणावगुण एवं क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होने से उक्त उज्र सारहीन है तथा किसी भी वाद या प्रार्थना पत्र जिस पर पक्षकारों के अंसयोजन या कुसंयोजन से वाद के गुणावगुण या न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ऐसे उज्र के आधार पर अपीलान्ट न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. की बहस दिनांक 06.11.2024 को सुनी गई थी एवं उक्त प्रार्थना पत्रों बाबत आदेश दिनांक 03.12.2024 को सुनाया गया था। उक्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करने के पश्चात दिनांक 03.12.2024 को बाबत मूल प्रार्थना पत्र बहस सुनी जाकर अन्तिम आदेश पारित कियां गया था। राजस्थान काश्तकारी नियमावली के नियम 69 के उपनियम 2 के अर्न्तगत 90 दिवस के भीतर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किय जाकर मूल प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों की बहस सुनी जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विधिवत रूप से आदेश पारित किया गया है। अपील के पेरा संख्या 6, 7 एवं 8 का प्रत्युत्तर विस्तृत रूप से प्रारम्भिक आपत्तियों के अर्न्तगत प्रत्यर्थी/प्रार्थी द्वारा दिया जा चुका है। उक्त पेरा संख्या 8 के अर्न्तगत जिस विधिक प्रावधान की अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया है उक्त विधिक प्रावधान प्रतिबन्धित भूमियों को निजी व्यक्तियों को अलॉट या बैचान किये जाने के सम्बन्ध में प्रावधान करती है जबकि हस्तगत प्रकरण में इस प्रकार का कोई विवाद पक्षकारगण के मध्य नहीं होने से उक्त विधिक प्रावधान प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। राजस्थान काश्तकारी नियमावली के नियम 69 के तहत विधिवत रूप से रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। खसरा नम्बर 33 जो रास्ता सड़क है, इससे लगता हुआ खसरा नम्बर 28, 29 से होकर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

खसरा नम्बर 62 के उत्तरी पूर्वी कोने से प्रार्थी/प्रत्यर्थी अपनी कृषि जोत पर सबसे निकटतम एवं लघुतम मार्ग होने तथा उपर्युक्त होने के कारण कई वर्षो से आता जाता रहा है तथा खसरा नम्बर 60 अजमेर विकास प्राधिकरण से प्रार्थी का कोई आना जाना या कोई लेना देना नहीं है इस कारण अनर्गल रूप से पक्षकार संयोजित कर अनुतोष लेना अविधिक होने के चलते प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) खसरा नम्बर 28,29 के खातेदार को पक्षकार संयोजित कर खसरा नम्बर 62 से रास्ते की मांग करते हुए अनुतोष चाहकर विधिवत रूप से प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 (क) के अर्न्तगत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अपने सुविधा जनक आनन्द हेतु किसी मुख्य मार्ग या सड़क से रास्ता मिलाने हेतु कई पक्षकार संयोजित कर उक्त रास्ते को मुख्य मार्ग/सड़क से मिलाया जाना आवश्यक है अपितु उक्त प्रावधानों के अर्न्तगत प्रार्थी काश्तकार को जहां तक आने जाने में व्यवधान या बाधा कारित होती है, केवल मात्र उस हद तक ही अपनी नितान्त आवश्यकता के आधार पर रास्ते का अनुतोष प्रदान किया जा सकता है। प्रार्थी/प्रत्यर्थी द्वारा अपने मूल प्रार्थना पत्र में कहीं पर भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रार्थी के पास वर्तमान में आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है तथा आर.वी.जे. 2021 पेज नं. 299 बाबत प्रकट किये गये विधिक दृष्टान्त उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार द्वारा उभय पक्षों को नोटिस जारी किये जाकर नियम 69 राजस्थान काश्तकारी नियमावली के अर्न्तगत उभय पक्षों की मौजूदगी में उक्त मौका रिपोर्ट तैयार की गई है तथा माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय आर0आर0टी0 2021 पार्ट 2 पेज नम्बर 1286 के अंतर्गत पारित निर्णय बाबत अपीलार्थीया द्वारा कथन किया गया है कि जहां वैकल्पिक रास्ता है एवं सबसे सरलतम, निकटतम एवं लघुत्तम, सुगमतम है वहां से ही रास्ता दिया जा सकता है जबकि उक्त विधिक दृष्टांत के अंतर्गत वैकल्पिक रास्ते की मौजूदगी में अन्य रास्ता नहीं दिया जा सकता ऐसा प्रावधान मूल अधिनियम एवं उक्त विधिक दृष्टांत अंतर्गत भी किया गया है तथा उक्त दृष्टांत जैसी कोई भी स्थिति हस्तगत प्रकरण के अंतर्गत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन में दी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 सेक्शन 251 पेज 832 व 894 नियम 69–70 के न्यायिक नियम पेश किया है।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 5.2.2024 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। दिनांक 6.3.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 के नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुए। दिनांक 15.5.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए का जवाब प्रस्तुत किया गया। दिनांक 2.7.2024 को अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

31.7.2024 को तहसीलदार किशनगढ द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रस्तावित रास्ते की मौका रिपोर्ट पेश की गई। दिनांक 7.10.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से आपत्ति प्रार्थना पत्र व 151 सीपीसी पेश किया गया। प्रार्थी अभिभाषक की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी व संशोधित शीर्षक पेश किया गया। दिनांक 29.10.2024 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 स्वीकार किया गया तथा संशोधित शीर्षक रिकार्ड पर लिया गया। दिनांक 3.12.2024 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र व 151 सीपीसी को खारिज किया गया। दिनांक 4.12.2024 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया गया।

पटवारी हल्का व भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 3.7.2024 को तैयार मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। *" मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को अपनी आराजी खसरा नम्बर 63, 64 में आने जाने हेतु वर्तमान में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने के लिए निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 62 से होकर दिलावाया जा सकता है। प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षेत्रफल 0.0201 है0 होगा। प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 62 से होकर जाएगा जो नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है।"* अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 62 में से प्रस्तावित रास्ते हेतु अधिग्रहित रकबा 0.0201 है0 (30 फीट चौडाई) भूमि बाबत आदेश पारित किए गए।

मौका रिपोर्ट दिनांकित 3.7.2024 में वैकल्पिक मार्ग का कहीं भी अंकन नहीं किया गया है तथा स्वीकृत रास्ते की चौडाई 30 फीट है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 30 फीट चौडाई का रास्ता स्वीकृत करने के संबंध में कोई विवेचन अथवा विशलेषण नहीं किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में अधिकतम चौडाई 30 फीट का रास्ता स्वीकृत करने का प्रावधान तो है किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किन परिस्थितयों में 30 फीट चौडा रास्ता दिया गया है ऐसा भी कोई अंकन अपने आदेश में नहीं किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 30 फीट चौडा रास्ता स्वीकृत करने में विधिक त्रुटि कारित हुई है। जो कि अपील के माध्यम से खारिज किए जाने योग्य है। चूंकि प्रकरण का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा रहा है अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते पत्रावली का अंतिम निस्तारण करने से पूर्व वास्तविक मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज किया जाता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विवेचन किए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत अधिकतम चौडाई का रास्ता दिए जाने के आदेश दिए गए है जो कि खारिज योग्य है तथा प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा प्रकरण संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

08/2024 में पारित आदेश दिनांक 04.12.2024 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण से संबंधित सभी पक्षकारान को जवाब एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर उभय पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तीनों बिंदुओं यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुत्तम मार्ग के बिंदुओं का अनुसारण करते हुए व 30 फीट चौडे रास्ते की आवश्यकता है या नहीं समुचित विश्लेषण करते हुए पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ के समक्ष दिनांक 13.05.2025 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

30/04/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner